भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2496
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

असम के लक्षीपुर में उद्योग स्थापित करने की योजना

2496. श्री परिमल शुक्ला बैद्य:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम के कछार जिले के लक्षीपुर क्षेत्र में अनानास के लाभों को पूरे देश में फैलाने के लिए उद्योग स्थापित करने का कोई उद्देश्य/योजना है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। तथापि, सरकार असम के लखीमपुर और कछार जिलों सहित देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम तथा केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

मंत्रालय संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनानास के प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत, 15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, एमओएफपीआई ने असम राज्य में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 28 फरवरी, 2025 तक 1 मेगा फूड पार्क, 2 शीत शृंखला परियोजनाएं, 8 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 65 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 1 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रचालनरत है। असम राज्य में 28 फरवरी, 2025 तक पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल 2706 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदित किया गया है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण कंपनियों के सृजन में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए प्रचालनरत है। अब तक, असम राज्य में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 28 फरवरी, 2025 तक 4 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

*****